

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम, मंझौल, बेगूसराय

चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या – 165/2021

जी0 आर0 नं0 – 239/2021

राज्य बनाम् राजकुमार पासवान

25.01.2022 : संज्ञान के बिन्दु पर सुना। अनुसंधानकर्त्ता चेरियाबरियापरु द्वारा आरोप पत्र संख्या – 198/2021 दिनांक 23.09.2021 वाद दैनिकी के साथ प्राथमिकी अभियुक्त राजकुमार पासवान, सुजीत पासवान, गौरी पासवान, पंकज पासवान, बन्दु पासवान, तथा आरकेस्ट्रा प्रोग्राम के मालिक मो0 नं0 – 9934447929 के धारक निरज कुमार सिंह उर्फ संजय कुमार के विरुद्ध धारा – 188, 269, 270, 271/31 भा0 दं0 वि0 के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

अभिलेख एवं वाद दैनिकी की कंडिका 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 22, 28, 39, 43, 44 एवं 45 के अवलोकन से यह विदित होता है कि आरोप पत्र के कॉलम –11 में नामित प्राथमिकी अभियुक्त राजकुमार पासवान, सुजीत पासवान, गौरी पासवान, पंकज पासवान, बन्दु पासवान, तथा आरकेस्ट्रा प्रोग्राम के मालिक मो0 नं0 – 9934447929 के धारक निरज कुमार सिंह उर्फ संजय कुमार के विरुद्ध धारा – 188, 269, 270, 271/31 भा0 दं0 वि0 के तहत अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है एवं उक्त धाराओं में प्रथम दृष्ट्या अभियोग का मामला बनता प्रतीत होता है।

अतः आरोप पत्र के कॉलम–11 में नामित प्राथमिकी अभियुक्त राजकुमार पासवान, सुजीत पासवान, गौरी पासवान, पंकज पासवान, बन्दु पासवान, तथा आरकेस्ट्रा प्रोग्राम के मालिक निरज कुमार सिंह उर्फ संजय कुमार के विरुद्ध धारा – 188, 269, 270, 271/31 भा0 दं0 वि0 के अंतर्गत मामले का संज्ञान लेते हुए अभिलेख को निजी संचिका में रखा जाता है।

कार्यालय अभियुक्तण के विरुद्ध दिनांकसमन निर्गत करें।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 दंडाधिकारी प्रथम

मंझौल, बेगूसराय